20 रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(23)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

रिवीजन प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–शिवपुरी निग 3650 – II/16

21-10-16

कोमल प्रसाद पुत्र श्री भैयालाल साहू,
निवासी काली माता मन्दिर के पास, करैरा,
जिला – शिवपुरी (म.प्र.) —— आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा – कलेक्टर,
जिला – शिवपुरी (म.प्र.) – अनावेदक

माननीय न्यायालय तहसीलदार, तहसील करैरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 70/अ–68/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन रिवीजन।

21/10/16

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह रिवीजन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

344
21-10-16

1. यहकि, माननीय न्यायालय तहसीलदार, तहसील करैरा का आदेश दिनांक 30.07.2016 अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय पटवारी की तथाकथित रिपोर्ट के आधार प्रकरण में कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है, जिसके सम्बन्ध में आवेदक की ओर से अपना जबाव प्रस्तुत किया था एवं बताया था कि उपरोक्त भूमि उनके द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तथा विधिवत रूप से सीमांकन किया जाकर बंटाकन किया गया है, ऐसी स्थिति में उक्त आदेश को चैलेन्ज किये बिना वर्तमान प्रकरण में आवेदक के विरूद्ध 248 की कार्यवाही नहीं की जा सकती। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की उपरोक्त आपत्ति पर विचार किये बिना जो आदेश पारित किया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यहकि, विचारण न्यायालय ने कार्यवाही विधान सभा प्रश्न के आधार कार्यवाही प्रारम्भ की, जबकि कोई भी न्यायालयीन कार्यवाही न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर की जा सकती है। इस प्रकार

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3650-दो/16 **जिला** - शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1/4/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को कलेक्टर, जिला शिवपुरी के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **कलेक्टर जिला शिवपुरी**	